न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00279

1. कैलाश पुत्री श्री रामकिशन ।
2. मम्मू पुत्री श्री रामकिशन ।
3. ममता पुत्री श्री रामकिशन जाति रेबारी निवासी ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. अमरा आत्मज कान्हा जी जाति रेबारी निवासी ग्राम मांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमन्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 23.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मांगाहेडी तहसील दगोद में खाता संख्या 02 पर खसरा नम्बर 129 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 174 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.86 हैक्टर कुल 04 किता रकबा 3.63 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी कम 01 लगायत 3 के सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जो उनको अपने पिता व दादा की मृत्यु के बाद विरासत में

प्राप्त हुई । राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमरलाल पुत्र काशीराम दर्ज है जबकि वादी का नाम अमरा है तथा पिता का नाम काना है । काशीराम वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा का नाम है । निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में भी अमरा पुत्र काना दर्ज है । वादी एवं वादी के पिता का नाम गलत अंकित होने के कारण भूमि पर कृषि ऋण आदि की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिए उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमरा पुत्र काना दर्ज किया जावे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि का पक्षकारान के पृथक–पृथक खाता खोला जाकर पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.05.2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2017 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 1 से 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही कोई सूचना ही प्रदान की । अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी से नकल दिनांक 26.06.2019 को लेने पर हुई जिस पर दिनांक 01.07.2019 को नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की । उसके उपरान्त यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री पारित की गई है उसमें

राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अपीलान्ट के कब्जे की आराजी रेस्पोडेन्ट को दी गई है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अंतिम डिक्री की अपील पेश की गई है । अपील विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया है । लोक अदालत में तहसील से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है । अंतिम डिक्री की पालना में खाते पृथक–पृथक हो चुके हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 की प्रमाणित प्रति जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 31.05.2017 के अनुसार विभाजन का नोट अंकित किया गया है । पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.05.2017 को लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में वादी उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दी गई है परन्तु प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं और उन्हें आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । विभाजन प्रस्ताव के साथ खातों को पृथक–पृथक दर्शाते हुए नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है । बंटवारा प्रस्ताव में अमर लाल की उपस्थिति दर्ज की गई है परन्तु प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये हैं और न ही उन्हें न्यायालय में आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल

इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार, दीगोद से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा